

आवेश व हजलाया प्रकाश राजपुत्रीकित आई.ए.एस. जिला कलकत्तर पूर्व जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर प्रांतीय

प्रकरण संख्या : 24/2024 (धारा 14 सिक्कीरिटाईजेशन)

रिलायंस एरोट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय-11वीं मजिल, चार्ज साइड, आर-टेक मार्ग, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, मोरेशाव (पूर्व), मुंबई।

प्रांतीय वित्तीय संस्था

बनाम

1. अर्जुन लाल गीणा पुत्र श्री पांचू राम
पता :- चार्ज नंबर 2, सुरसिंहपुरा, माल्यवास, जयपुर।
2. सुशीला बेबी पत्नी श्री अर्जुन लाल गीणा
पता :- चार्ज नंबर 2, सुरसिंहपुरा, माल्यवास, जयपुर।
3. गोपाल लाल गीणा पुत्र श्री नन्दासाम
पता :- चार्ज नंबर 2, सुरसिंहपुरा, माल्यवास, जयपुर।

अप्रांतीय
ऋणी, सहऋणी एवं गारंटर



The application under section 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

श्री विनय सिंह अधिवक्ता प्रांतीय वित्तीय संस्था की ओर से।

आवेश

दिनांक 30.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वित्तीय संस्था बैंड फिनसर्व लिमिटेड (बैंड डिजिटिंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड) ने अप्रांतीय ऋणी को दिनांक 18.08.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रांतीय अर्जुन लाल गीणा पुत्र श्री पांचू राम के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नंबर 01, गिराल नंबर 017/2016-17, सुरसिंहपुरा, फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान, कुल क्षेत्रफल 108.22 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 3,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। वित्तीय संस्था बैंड फिनसर्व लिमिटेड (बैंड डिजिटिंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड) ने दिनांक 09.03.2023 को जरिये एसाईनमेन्ट अप्रांतीय का ऋण खाता प्रांतीय वित्तीय संस्था रिलायंस एरोट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को स्थानान्तरित कर दिया गया। अप्रांतीय ऋणी द्वारा प्रांतीय वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असाफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रांतीय ऋणी को दिनांक 29.09.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बवजूद ऋण राशि गय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रांतीय वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भीतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमवाद उपलब्ध कराने की इस्तमुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वर्ज रजिस्टर किया गया। प्रांतीय वित्तीय संस्था को सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रांतीय वित्तीय संस्था ने अप्रांतीयों को 3,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रांतीय ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रांतीय वित्तीय संस्था को पास गिरवी रखी है। अप्रांतीय का ऋण खाता एन पी

2-43
जिला मजिस्ट्रेट
(जयपुर) जयपुर (राजस्थान)



ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 9,25,806/-रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.09.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अर्जुन लाल मीणा पुत्र श्री पांचू राम के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति पट्टा नम्बर 01, मिसल नम्बर 017/2016-17, सुरसिंहपुरा, फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान, कुल क्षेत्रफल 166.22 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु आबन्ध करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



6. आदेश आज दिनांक 30.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर (राजीव)